झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने निमित्त एतद् सामग्रियों की आपूर्त्ति इसके वर्त्तमान निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता से प्राप्त करने की अवधि दिनांक–31.05.2025 तक विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय–निर्देश के अनुपालनों के तहत् केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अधीन कार्यान्वित पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत 06–36 माह के बच्चों, 06–72 माह के अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को Take Home Ration (THR) स्वरूप मशीनीकृत संसाधित Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. विभागीय संकल्पांक–60, दिनांक–08.01.2021 के प्रावधानानुसार उक्त लाभार्थियों को वर्ष के 300 दिन Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) स्वरूप शिशु आहार एवं पौष्टिक मीठा दलिया (06–36 माह के बच्चों एवं 06–72 माह के अतिकुपोषित बच्चों के लिए) तथा पौष्टिक नमकीन दलिया एवं पौष्टिक मीठा दलिया (गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के लिए) आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के माध्यम से निविदा के माध्यम से चयनित निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से मशीनीकृत संसाधित उक्त पोषणाहार सामग्रियों का प्रावधानित दर के तहत् क्रय कर आँगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्त्ति कराई जा रही है।

3. साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि योजना के तहत् लाभार्थियों के मध्य पूरक पोषणाहार की आगामी समय में निर्बाध आपूर्त्ति हेतु विभाग स्तर पर रेसिपी निर्धारण एवं निविदा सम्पादन कर आपूर्त्तिकर्त्ताओं के चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है जिस संदर्भ में उद्धरणीय तथ्य निम्नवत् है –

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लाभार्थियों को प्रदाय पूरक पोषाणाहार के स्थूल एवं सुक्ष्म पोषक तत्वों (Macro & Micro Nutrients) मूल्यों में संशोधन किया गया है जिसके आलोक में राज्य में वितरण हेतु पूरक पोषणाहार के रेसिपी में संशोधन अपेक्षित है।

एतद् निमित्त National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Kundli, Sonipat, Haryana से रेसिपी संशोधन हेतु परामर्श प्राप्त किया जा रहा है तथा इस संबंध में उन्हें स्मारित भी किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा समय लगने की संभावना जताई गई है।

ii. वित्तीय वर्ष–2025–26 के आम बजट के आलोक में Press Information Bureau द्वारा दिनांक–01.02.2024 के भारत सरकार के प्रेस ब्रीफिंग में निर्गत है कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् Cost Norms में संवृद्धि प्रस्तावित है।

4. उल्लेखनीय है कि –

i. चयनित उक्त आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ कुल 36 माह का अनुबंध आंगनबाड़ी केन्द्रों में MFEDF सामग्री के आपूर्त्ति हेतु किया गया था जिसकी अवधि माह फरवरी, 2025 में समाप्त हो गई है ;

ii. अनुबंध के आलोक में सम्प्रति उक्त आपूर्त्तिकर्त्ताओं को जनवरी, 2024 तक का आपूर्त्ति आदेश निर्गत है एवं आपूर्त्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ;

iii. उक्त आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ अनुबंध के तहत् निम्न शर्त्त हैं –

"The contract will remain in force for a period of three (03) years from the date of execution of the agreement. The contract may further be extended for a maximum period of 01 (one) year with mutual consent of both the parties to the Contract but in no case extension of more than three months may be granted in single go."

5. क) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वर्गवार पोषणाहार वितरण हेतु अपेक्षित रेसिपी हेतु इसमें संशोधन तथा निकट भविष्य में इन पोषणाहार के क्रय दर में संशोधन की संभावना ;

ख) संदर्भित राज्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप तथा विनिर्दिष्ट निर्देशों/नियमों के तहत् इन पोषणाहारों के क्रय एवं आपूर्त्ति प्राप्ति हेतु प्रक्रियाओं के सम्पादन यथा–निविदा निष्पादन कर नवीन आपूर्त्तिकर्त्ताओं के चयन कर आंगनबाड़ी केन्द्रों तक इसके आपूर्त्ति एवं लाभार्थियों के मध्य इसके वितरण में लगने वाले समय ;

ग) लाभार्थियों को पोषणाहार के निर्बाध आपूर्त्ति सुनिश्चित कराने ;

–के दृष्टिगत् योजनान्तर्गत वर्त्तमान के निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से मई, 2025 तक अनुबंध के शर्त्तों के तहत् Take Home Ration (THR) स्वरूप मशीनीकृत संसाधित Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) की क्रय एवं आपूर्त्ति प्राप्ति व्यवहारिक प्रतीत होता है।

योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन प्रभारी एवं क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड से विभाग को इस संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त है एवं इनके द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ताओं के एतद् अवधि विस्तार की सहमति संबंधी पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् लाभार्थियों को निर्बाध पोषणाहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने निमित्त वर्त्तमान के निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल के अनुबंध अवधि को आगामी तीन माह अर्थात दिनांक–31.05.2025 तक उनके अनुबंध के शर्त्तों एवं निर्धारित दरों के अनुरूप विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–15.05.2025 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07/म०स०/पू०पो०आ०–471/2024– 1502 **राँची, दिनांक :–** 21-05-2025

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07/म०स०/पू०पो०आ०–471/2024– 1502 **राँची, दिनांक :–** 21-05-2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव